



कलकत्ता उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 529706

5 FEB 2010

[4]

इलाहाबाद

D/FT श्रीमती रशीदा हाशमी पत्नी श्री आफताब अहमद हाशमी निवासिनी-डी-55/1, सेक्टर-7, इन्दिरा नगर, लखनऊ हालमुकीम 44के/5के, नवाबनगर जे0के0 आशियाना, करैली, परगना व तहसील-सदर, जिला-इलाहाबाद।

.....द्वितीयपक्ष/क्रेती

जो कि आराजी नम्बरी 350मि0 रकबा 0.344 हेक्टेयर स्थित मौजा-बाजूपुर, परगना व तहसील-सदर, जिला-इलाहाबाद के मालिकान उक्त श्री रमेशचन्द्र वगैरह हैं और विक्रेता प्रथमपक्ष उक्त रमेश चन्द्र आदि का मुख्तारआम बजरिये मुख्तारनामा आम रजिस्ट्री शुदा मोरखा 15.10.2005ई0 है, जिसकी रजिस्ट्री प्रति पुस्तक सं0-4, खण्ड-87 के पृष्ठ संख्या-51/60, कार्यालय उपनिबन्धक रानीगंज, जिला-प्रतापगढ़ में दर्ज रजिस्टर है। इस तरह मुख्तारनामा आम की रू से मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष को उक्त रमेश चन्द्र वगैरह की आराजी मजकूर को फरोख्त करने का पूरा हक व अधिकार हासिल है। आराजी मजकूर इस वक्त तक हर तरह के बार भार रेहन व जमानत व लोन व विवाद आदि से बरी पाक व साफ है कहीं रेहन बय नहीं हैं चूँकि उक्त रमेश चन्द्र वगैरह को अपनी-अपनी जाती जसूरतों के वास्ते रूपयों की आवश्यकता है और बजुज फरोख्त किये आराजी मजकूर के जुज भाग के रूपया मिलने की कोई सूरत बजाहिर नजर नहीं आती विक्रेता प्रथमपक्ष के बहैसियत मुख्तारआम आराजी मजकूर के जुज भाग को बेचने की ख्वाहिश जाहिर करने पर क्रेती द्वितीयपक्ष जुज रकबा आराजी मजकूर को मुबल्लिग मु0 4,00,000/- (चार लाख) रूपया में खरीद करने

रशीदा हाशमी

Rasheeda Hashmi